प्रेस विज्ञप्ति
01.10.2026

बीपीटीपी लिमिटेड के मामले में फेमा उल्लंघनों के लिए आरबीआई ने कंपाउंडिंग आदेश जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 15 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं/आदेशों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स बिजनेस पार्क टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) तथा इसके निदेशकों काबुल चावला और सुधांशु त्रिपाठी के मामले में दिनांक 17.09.2026 को कंपाउंडिंग आदेश जारी किए हैं।

इस मामले में प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर ईडी द्वारा फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने के उपरांत, ईडी ने फेमा की धारा 16 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की, जिसमें फेमा के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लंघनों को इंगित किया गया, जिनका कंपाउंडिंग किया गया है:-

- विदेशी निवेशकों को सुनिश्चित प्रतिफल/निर्गमन मूल्य प्रदान करने वाले ऑप्शनैलिटी क्लॉज के साथ शेयर जारी करना, जो फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 2 के साथ पठित विनियम 5(1) का उल्लंघन है। उक्त उल्लंघन में निहित राशि ₹5,37,50,00,000/- है।

कंपनी तथा उसके निदेशकों ने बाद में उक्त उल्लंघनों की फेमा के अंतर्गत कंपाउंडिंग के लिए अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार आरबीआई के समक्ष कंपाउंडिंग आवेदन दायर किए। आरबीआई से संदर्भ प्राप्त होने पर, ईडी ने अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप ऐसी कंपाउंडिंग के लिए अनापत्ति जारी की। तदनुसार, ईडी द्वारा जारी अनापत्ति के आधार पर आरबीआई ने दिनांक 17.09.2026 के कंपाउंडिंग आदेश द्वारा उक्त उल्लंघनों की कंपाउंडिंग की, जिसके लिए मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड द्वारा ₹4,03,62,500/- तथा इसके निदेशकों सुधांशु त्रिपाठी और काबुल चावला द्वारा प्रत्येक ₹40,36,250/- का एकमुश्त भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप केवल कंपाउंडिंग किए गए उल्लंघन के संबंध में जांच तथा आगे की कार्यवाही समाप्त हो गई है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नीतिगत रूप से, जहां कोई उल्लंघन कंपाउंडिंग के लिए पात्र हो, निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों तथा कोई जांच अथवा अन्य विधिक बाधा विद्यमान न हो, वहां प्रवर्तन निदेशालय अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करता है। इससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलता है, परिहार्य मुकदमेबाजी कम होती है तथा व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा मिलता है।

चूंकि फेमा मुख्यतः दीवानी प्रकृति का विधान है, अतः इसकी धारा 15 में धारा 13 के अंतर्गत दंडनीय उल्लंघनों की कंपाउंडिंग का प्रावधान किया गया है, ताकि स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाया जा सके, मुकदमेबाजी को कम किया जा सके तथा मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। कंपाउंडिंग की प्रक्रिया विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 के अंतर्गत निर्धारित की गई है, जिन्हें फेमा की धारा 15 के साथ पठित धारा 46 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इन नियमों में आवेदन दाखिल करने, मामलों की जांच करने तथा कंपाउंडिंग आदेश पारित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त नियमों के अनुसार, कुछ उल्लंघन कंपाउंडिंग योग्य नहीं हैं। इनमें ऐसे गंभीर उल्लंघन शामिल हैं, जिनके संबंध में धन शोधन, आतंक वित्तपोषण अथवा देश की संप्रभुता एवं अखंडता को प्रभावित करने का संदेह हो। उक्त विनियम सार्वजनिक रूप से निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/sep/doc2024912392301.pdf

विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 के नियम 3 के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पात्र उल्लंघनों की कंपाउंडिंग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। आरबीआई ने फेमा के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के संबंध में मास्टर निदेश भी जारी किए हैं, जिनमें उल्लंघन की प्रकृति, गंभीरता, अवधि तथा उसमें निहित राशि जैसे कारकों के आधार पर कंपाउंडिंग राशि निर्धारित करने के लिए कंपाउंडिंग मैट्रिक्स निर्धारित किया गया है, जिसका सार निम्नानुसार है:-

उल्लंघन का प्रकार	**सूत्र**
रिपोर्टिंग/प्रस्तुतीकरण संबंधी उल्लंघन	नियत राशि: ₹10,000/- (एक कंपाउंडिंग आवेदन में उल्लंघित प्रत्येक विनियम/नियम के लिए एक बार लागू) तथा परिवर्ती राशि: उल्लंघन में निहित राशि के आधार पर ₹1,000 प्रति वर्ष से ₹2,00,000 तक।
Submission of AAC/ APR/ FLAR/ Share certificate	प्रत्येक विलंबित एएसी/एपीआर/एफसी-जीपीआर (बी)/एफएलए विवरणी के लिए ₹10,000/-। शेयर प्रमाणपत्र की विलंबित प्राप्ति/प्राप्त न होने की स्थिति में ₹10,000/- प्रति वर्ष, बशर्ते कुल राशि निवेशित राशि के 300 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होगी।
आवंटन/धनवापसी विदेशी निवेश के संबंध में शेयरों का आवंटन न किया जाना अथवा निर्धारित अवधि के पश्चात आवंटन/धनवापसी	नियत राशि: ₹30,000/- (एक कंपाउंडिंग आवेदन में उल्लंघित प्रत्येक विनियम/नियम के लिए एक बार लागू) तथा परिवर्ती राशि, जो 'उल्लंघन में निहित राशि' के 0.30 प्रतिशत से 0.75 प्रतिशत तक होगी
किसी भी गारंटी को जारी करने से संबंधित कोई उल्लंघन (रिपोर्टिंग संबंधी उल्लंघनों को छोड़कर)	नियत राशि: ₹5,00,000/- (एक कंपाउंडिंग आवेदन में उल्लंघित प्रत्येक विनियम/नियम के लिए एक बार लागू) तथा परिवर्ती राशि, जो 'उल्लंघन में निहित राशि' के 0.050 प्रतिशत से 0.075 प्रतिशत तक होगी।
अन्य सभी गैर-रिपोर्टिंग उल्लंघन	नियत राशि: ₹50,000/- (एक कंपाउंडिंग आवेदन में उल्लंघित प्रत्येक विनियम/नियम के लिए एक बार लागू) तथा परिवर्ती राशि, जो 'उल्लंघन में निहित राशि' के 0.50 प्रतिशत से 0.75 प्रतिशत तक होगी।

उक्त अधिसूचना सार्वजनिक रूप से निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12736&Mode=0

कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करते समय आवेदक यह प्रस्तुत कर सकता है कि उल्लंघन अनजाने में हुआ था, सुधारात्मक कार्रवाई की जा चुकी है, सुदृढ़ अनुपालन तंत्र स्थापित किए गए हैं तथा इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत जहां अपेक्षित हो, वहां आरबीआई कंपाउंडिंग आवेदन पर कार्रवाई करने से पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करता है। फेमा की धारा 15(2) के अनुसार, निर्धारित अवधि के भीतर कंपाउंडिंग राशि का भुगतान किए जाने पर, कंपाउंडिंग किए गए उल्लंघन के संबंध में कोई आगे की कार्यवाही न तो प्रारंभ की जाएगी और न ही जारी रखी जाएगी तथा उक्त कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

आरबीआई द्वारा उल्लंघनों की कंपाउंडिंग किए जाने के उपरांत, ईडी संबंधित कार्यवाही समाप्त कर जांच बंद कर देता है। जिन प्रमुख मामलों में ईडी द्वारा जांच बंद की गई है, उन्हें प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से आम जनता के संज्ञान में लाया जाता है, ताकि समान प्रकृति की लंबित जांचों के मामलों में संबंधित उल्लंघनकर्ता आरबीआई के समक्ष कंपाउंडिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकें।
